

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

--: आदेश ::--

संख्या-17/स्था0-10-05/2018, सा.प्र...../पटना-15, दिनांक:-.....
श्री अनिल कुमार सिन्हा, (बि.स.से.), प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार, पटना को अस्थायी व्यवस्था के रूप में भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग,
बिहार, पटना के लेखा कार्य हेतु अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

ह0/-

(गुफ़रान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था0-10-05/2018, सा.प्र...../पटना-15, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग/प्रधान सचिव, राजस्व
एवं भूमि सुधार विभाग/सदस्य, भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग/अवर सचिव (स्थापना),
सामान्य प्रशासन विभाग/श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग में लेखापाल का पद सृजित नहीं रहने के
कारण यह व्यवस्था अस्थायी रूप में है। सदस्य, भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग, बिहार,
पटना से अनुरोध है कि आयोग में लेखापाल का पद सृजित कराई जाय।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था0-10-05/2018, सा.प्र.....356...../ पटना-15, दिनांक:-20.11.19

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।